

# न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 13/2023 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनाम 1. जगदीश , भंवरलाल सोहनी पिता नाथू, शंकर पुत्र गोपी मांगी पत्नी गोपी निवासीयान कांस्या तहसील बिजौलिया

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से



## निर्णय

दिनांक 14.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम बाणियों का तालाब की आ.न. 19, 20 रकबा 0.6475 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2023 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सोहनी के सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुये जिस पर विपक्षी सोहनी का फोट होना अंकित हैं एवं शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं।


प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी सोहनी फोट होना अंकित हैं। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया ने मृतक व्यक्ति सोहनी के कायम मुकाम रिपोर्ट के

24  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

साथ सम्मन भी पेश नहीं किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 08.09.2023 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण में काफी समय व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनायी है। इस प्रकार नियम विरुद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता है। तहसीलदार बिजौलिया मृतक के वारिसानों की जांच कर पूर्ण दस्तावेज सहित प्रकरण नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(रतन कुमार)  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

निर्णय